



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

बिल वापस मिलने /अग्रिम वापस करने /निपटान करने हेतु आवेदन पत्र
Letter for Returning of Bill/Advance/Settlement Application

दिनांक:

Date

महोदय/महोदया..... विभाग.....

Respected Sir/Madam.....Department.....

अनुमोदन के लिए भेजे गए बिल/मिसिल संख्या के लिए

For the Bill/File sent for approval having number.....

उपयुक्त उद्देश्य के सामने सही का चिन्ह लगाएं

For the purpose of:

अग्रिम धनराशि का संवितरण

Disbursement of fund in Advance

अग्रिम समायोजन/अंतिम निपटान

Advance Adjustment/Final settlement

बिल के भुगतान के लिए

For the Bill Payment

उपर्युक्त विषय के लिए दिनांक _____ को अपना आवेदन फ़ाइल सहित प्रस्तुत करने के लिए आपका धन्यवाद

Thank you for submitting your application for above mentioned subject with file submitted on.....

हमें आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि आपका प्रपत्र वापस किया जा रहा है। विवरण नीचे दिया गया है:

We regret to inform you the form is returned herewith. Please find the reason below.

मेमो/प्रपत्र अधूरा है

Incomplete Memo/Form

पिछले अग्रिम का विवरण लंबित है

Details of previous advance pending

अग्रिम की मंजूरी के लिए अनुमोदन संलग्न नहीं है

Approval for sanction of advance not attached

बिलों में विसंगति है

Discrepancy in Bills



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

- व्यय सीएफए की पूर्व मंजूरी के अनुसार नहीं किया गया है
Expenditure not incurred according to the prior approval of CFA
- यदि कोई अन्य हो तो:
Others, (If any).

.....
कृपया उपर्युक्त वर्णित आवश्यकता को पूरा करें और इसे उचित माध्यम से वित्त एवं लेखा विभाग में पुनः प्रस्तुत करें।

Please fulfilled the above-mentioned requirement and resubmit the same to F&A Department through proper channel.

सादर

Yours Sincerely:

.....
हस्ताक्षर

(Signature)

आहरण एवं सर्वीटरण अधिकारी/अनुभाग अधिकारी

DDO/SO

वित्त एवं लेखा विभाग

Finance and Accounts Department